बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग अंतर्गत सेवानिवृत अंकेक्षकों की सेवा संविदा पर लिये जाने हेतु विज्ञापन

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) तथा ग्राम कचहरी के कार्यों के निष्पादन हेतु अंकेक्षक के पद पर, केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों/संस्थाओं से सेवानिवृत अंकेक्षकों/अंकेक्षण पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

2. संविदा आधारित अंकेक्षक हेतु आरक्षणवार पदों की संख्या निम्नवत् है :–

क्र०सं०	कोटि	पदों की संख्या
1.	अनारक्षित	150
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	37
3.	पिछड़ा वर्ग	45
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	67
5.	अनुसूचित जाति	59
6.	अनुसूचित जनजाति	04
7.	पिछड़ा वर्ग की महिला	11
	कुल	**373**

3. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :–

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) उम्र सीमा एवं मानदेय :–

(i) अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः 02(दो) वर्षों अथवा पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतनुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। इस प्रकार 01.04.2020 को 64 वर्ष उम्र पूर्ण हो जाने पर आवेदन मान्य नहीं होगा।

(ii) मासिक मानदेय की राशि सेवानिवृत सेवकों का प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मँहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प–सह–पठित ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

D:\Section-1\rakesh sir\letter.docx

www.GovtJobGuru.in

4. आवेदन की प्रक्रिया :– सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा। विभाग के उपलब्ध लिंक वेबसाइट http://online.bih.nic.in/PRDAUD/Default.aspx पर विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दिनांक 28.02.2020 के अपराह्न 05:00 बजे तक आवेदन स्वीकार की जायेगी।

5. ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के उपरांत इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

6. आवेदक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का मुद्रित प्रति के साथ सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ कॉउनसेलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। पेंशन भुगतान आदेश समर्पित करना अनिवार्य होगा।

7. संविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र अवश्य रूप से संलग्न करेंगे। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण–पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जायेंगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

8. कॉउनसेलिंग हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

www.GovtJobguru.in